BIJNOR POLICE

माह जनवरी – 2024

माह जनवरी – 2024 में समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली – जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर व जनपद के 17 थानों को प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

कार्यवाही –

शासन द्वारा संचालित जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में प्रदेश स्तर पर मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गयी है। पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (आईजीआरएस) के निकट पर्यवेक्षण में जनसुनवाई पोर्टल (IGRS) पर जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी कार्यालय/थानों पर प्राप्त जनशिकायतों का गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध निस्तारण किया गया, जिसके फलस्वरुप शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर निर्धारित की जाने वाली रैंकिंग में **माह जनवरी – 2024 में पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर व जनपद के 17 थानों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।** उक्त रैंकिंग प्रार्थना पत्रों के समयबद्ध निस्तारण, शिकायतकर्ता/आवेदक द्वारा दिये गये फीडबैक, प्रार्थना पत्रों की ऑनलाइन फीडिंग आदि मानको के आधार पर दी जाती है।

पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद बिजनौर द्वारा प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले थाना प्रभारियों व आईजीआरएस शाखा में नियुक्त अधि0/कर्म0गणों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

क्र0 सं0	थाना	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	रैंक
1	रेहड	90	90	100 %	1
2	बढापुर	90	90	100 %	1
3	शिवालाकलां	90	90	100 %	1
4	नगीना	90	90	100 %	1
5	नहटौर	90	90	100 %	1
6	स्योहारा	90	90	100 %	1
7	किरतपुर	90	90	100 %	1
8	हीमपुर दीपा	90	90	100 %	1
9	महिला थाना	90	90	100 %	1
10	अफजलगढ	90	90	100 %	1
11	मंडावर	90	90	100 %	1
12	चांदपुर	90	90	100 %	1
13	धामपुर	90	90	100 %	1
14	हल्दौर	90	90	100 %	1
15	शेरकोट	90	90	100 %	1
16	कोतवाली देहात	90	90	100 %	1
17	कोतवाली	90	90	100 %	1
18	नूरपुर	90	89	98.89%	663
19	नजीबाबाद	90	89	98.89%	663
20	नगीना देहात	90	88	97.78%	765
21	मण्डावली	90	87	96.67%	839
22	नांगल	90	84	93.33%	1058

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर दिनॉक 08.02.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 14/24 धारा 147/148/307/323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 11.01.2024 को वादी मौ0 अनस पुत्र मौ0 जफर निवासी मौ0 शहीदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट करना व वादी की आंख पर धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से वार किया तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 14/24 धारा 147/148/307/323/504/506 भादवि बनाम 1.आशुतोष पुत्र रामलाल 2.ललित 3. नकुल 4.अंकुर उर्फ भूरे 5.लकी आदि 02–03 अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.02.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 14/24 धारा 147/148/307/323/504/506 भादवि से संबंधित अभियुक्त ललित पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट– दिनांक 12.01.2024 को थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त आशुतोष पुत्र रामलाल उपरोक्त को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.ललित पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम तंगरौला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री उमेश चन्द थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

2–का0 1588 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

3–का0 1287 नीरज पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 08-02-2024**

थाना किरतपुर पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की मोटरसाईकिल व अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.02.2024 को वादी श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री ध्यान सिंह निवासी ग्राम नया गांव थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की मोटरसाईकिल सुपर स्पलैण्डर UP20AS2315 गोवर्धन गार्डन लॉन के सामने से चोरी कर ली है। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 69/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त रामचन्द्र उर्फ सोनू पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम अंगाखेडी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में वाहन चोरी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व चोरी गये वाहनो की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.02.2024 को मु0अ0सं0 69/2024 धारा 379 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त रामचन्द्र उर्फ सोनू पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम अंगाखेडी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को चोरी गयी मोटरसाईकिल UP20AS2315 व एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रामचन्द्र उर्फ सोनू पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम अंगाखेडी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

चोरी गयी मोटरसाईकिल UP20AS2315 व एक अवैध चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 1121/17 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 144/2018 धारा 411/413/414 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 311/2018 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 441/2018 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0 447/2018 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0 69/2024 धारा 379/411 भादवि व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना किरतपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 शिव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

2.हे0कां0 547 शाने आलम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 1780 सचिन पंवार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना अफजलगढ दिनांक 08.02.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने मु0अ0सं0 30/2024 धारा 363 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 29.01.2024 को वादिनी द्वारा थाना अफजलगढ पर अज्ञात अभियुक्त के विरुध्द वादिनी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने के संबंध में थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 30/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में नीरज राजभर पुत्र गोविन्द पृथ्वीराज सिंह चौहान निवासी ग्राम तीपरजोत थाना शेरकोट जनपद बिजनौर हाल निवासी मालपुर बन्ड़ाला जनता नगर थाना शिवाजीनगर जनपद महाराष्ट्र का नाम प्रकाश में आया। दिनांक 06.02.2024 को पुलिस द्वारा अपहृर्ता को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.02.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नीरज राजभर पुत्र गोविन्द पृथ्वीराज सिंह चौहान निवासी ग्राम तीपरजोत थाना शेरकोट जनपद बिजनौर हाल निवासी मालपुर बन्ड़ाला जनता नगर थाना शिवाजीनगर जनपद महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नीरज राजभर पुत्र गोविन्द पृथ्वीराज सिंह चौहान निवासी ग्राम तीपरजोत थाना शेरकोट जनपद बिजनौर हाल निवासी मालपुर बन्ड़ाला जनता नगर थाना शिवाजीनगर जनपद महाराष्ट्र।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 सन्दीप कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2. मुख्य आरक्षी 428 रवि मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना हल्दौर **दिनांक 08.02.2024**

थाना हल्दौर पुलिस ने अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाहीः-

जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.02.2024 थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त शोएब पुत्र बुन्दु निवासी ग्राम पपसरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 41/2024 धारा 60(1) आबकारी अधि0 बनाम शोएब उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शोएब पुत्र बुन्दु निवासी ग्राम पपसरा थाना नहटौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरणः-

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. मुख्य आरक्षी 677 प्रदीप कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. हो0गा0 1571 सुनील कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर   दिनॉक 08.02.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने अभियुक्त को 50 ग्राम गांजा सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण–

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं नशीले पदार्थो के विक्रय/परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अवैध नशीले पदार्थो की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.02.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान ठेका भांग रामलीला ग्राउण्ड के पास से अभियुक्त विशाल पुत्र स्व0 धर्मपाल सिंह निवासी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर बिजनौर को 50 ग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 113/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.विशाल पुत्र स्व0 धर्मपाल सिंह निवासी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1. 50 ग्राम गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 श्री राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2–का0 1198 संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
3–का0 571 अंकुर यादव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
4–नि0 आबकारी श्री हरिनारायण यादव आबकारी विभाग बिजनौर।
5–आरक्षी संजीव कुमार आबकारी विभाग बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना को0 शहर **दिनाँक 08.02.2024**

थाना को0 शहर पुलिस ने दो अभियुक्तों को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त फईम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी मौ0 लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व अभियुक्त जावेद पुत्र इस्तेकार निवासी मौ0 बुल्ला का चौराहा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को दो अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 शहर पर मु0अ0सं0 118/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :–

1. फईम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी मौ0 लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2. जावेद पुत्र इस्तेकार निवासी मौ0 बुल्ला का चौराहा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

दो अवैध चाकू।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त फईम उपरोक्तः-

मु0अ0सं0 135/16 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जावेद उपरोक्तः-

1. मु0अ0स0 127/2020 धारा 8/15 एनडीपीएस थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0स0 207/2019 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।
3. मु0अ0स0 152/2022 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।
4. मु0अ0स0 331/2021 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।
5. मु0अ0स0 406/2018 धारा 4/25 आर्म एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री यशदेव शर्मा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2.का0 1892 दीपक थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना को0 शहर **दिनाँक 08.02.2024**

थाना को0 शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 115/2024 धारा 380/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी आदि की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना को0 शहर पुलिस ने अभियुक्त शावेज पुत्र हिशामुद्दीन निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को पानी की टंकी के 08 कैप सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0 शहर पर मु0अ0सं0 115/2024 धारा 380/411 भादवि बनाम शावेज उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

1.शावेज पुत्र हिशामुद्दीन निवासी मौ0 काजीपाडा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरणः-

पानी की टंकी के 08 कैप।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री मीर हसन थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

2.का0 1441 आकाश कुमार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 08.02.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना मण्डावर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गम्भीर चोट पहुंचाने के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹ 26,000/- के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

दिनांक 15.08.2020 को वादी श्री सुभाष पुत्र सतपाल निवासी ग्राम कोहरपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर द्वारा थाना मंडावर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त नितिन उर्फ निक्की पुत्र मामराज निवासी ग्राम कोहरपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर द्वारा वादी की बहन तथा जीजा के मोटरसाइकिल पर बिजनौर जाते समय लोहे की रॉड से वार कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया। तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 177/20 धारा 308/323/504/506 भादवि बनाम नितिन उर्फ निक्की उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 325 भादवि की वृद्धि की गयी। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 08.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश – 01, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 177/20 धारा 308/323/325/504/506 भादवि के अभियुक्त नितिन उर्फ निक्की पुत्र मामराज निवासी ग्राम कोहरपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹ 26,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

नितिन उर्फ निक्की पुत्र मामराज निवासी ग्राम कोहरपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 08.02.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना धामपुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹ 80,000/- के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:–

दिनांक 25.09.2011 को वादी श्री हेमन्त कुमार पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सेढी थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा तहरीर दी गयी कि दिनांक 22.09.2011 को अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ बब्लू पुत्र विजयपाल निवासी ग्राम सेढी थाना धामपुर जनपद बिजनौर वादी की पुत्री का अपहरण कर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 463/2011 धारा 366 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान नामित अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ बब्लू की नामजदगी गलत पायी गयी तथा अभियुक्त सत्यपाल उर्फ सत्ते पुत्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सेढी थाना धामपुर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया । अभियोग में धारा 302/201/376/511 भादवि की वृद्धि की गयी। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 08.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं0 – 01, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 463/2011 धारा 302/366/201 भादवि के आरोपी अभियुक्त सत्यपाल उर्फ सत्ते पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सेढी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व ₹ 80,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की आधी धनराशि वादी मुकदमा (मृतका का पिता) को दी जायेगी।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

सत्यपाल उर्फ सत्ते पुत्र पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम सेढी थाना धामपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांकः- 08.02.2024**

जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 07 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	मंडावर	सुनील कुमार पुत्र भगवंत सिंह निवासी ग्राम खिरनी थाना मंडावर जनपद बिजनौर
2.	शेरकोट	साजिया पत्नी बिलाल उर्फ बब्लू नि0 मौ0 शेखान कस्बा व थाना शेरकोट बिजनौर
3.	नजीबाबाद	रऊफ पुत्र फारुख निवासी ग्राम करमसखेडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.	नजीबाबाद	चन्दभान पुत्र रामस्वरूप निवासी मौ0 भवन थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
5.	नजीबाबाद	मुस्तकीम पुत्र इब्राहीम निवासी मौ0 मेमरान थाना नजीबाबाद जनपद
6.	नूरपुर	सन्तराम पुत्र भगवन्त सैनी निवासी ग्राम जाफराबाद कुरई थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
7.	नूरपुर	जाहिद उर्फ कलुवा पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम गांवडी पनियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

थाना मंडावर

थाना शेरकोट

थाना नजीबाबाद

थाना नजीबाबाद

थाना नजीबाबाद

थाना नूरपुर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर दिनांक – 08-02-2024

थाना चांदपुर पर तैनात आरक्षी द्वारा पब्लिक के व्यक्ति से उत्कोच मांगने पर आरक्षी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि थाना चांदपुर क्षेत्र के पब्लिक के एक व्यक्ति द्वारा थाना चांदपुर पर तहरीर दी गयी कि थाना चांदपुर पर तैनात आरक्षी राजन द्वारा वादी के दो भतीजों को पूछताछ हेतु पुलिस चौकी, जलीलपुर बुलवाया गया था तथा पूछताछ के बाद दोनो को छोडने के लिये 50-50 हजार रुपये की मांग की गयी, जिसकी ऑडियो वादी के पास है। प्रकरण की जांच प्रभारी निरीक्षक, थाना चांदपुर से करायी गयी तो उक्त शिकायत सत्य पाई गयी, जिसके फलस्वरुप पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा आरक्षी राजन उपरोक्त को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है तथा आरक्षी राजन के विरुद्ध थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 69/24 धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है। विवेचना क्षेत्राधिकारी, नगीना द्वारा की जा रही है।

कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरों टोलरेंस की नीति के अन्तर्गत जनपद के समस्त पुलिसकर्मियो को पूर्व में ही निर्देशित किया गया था। थाना चांदपुर पर तैनात आरक्षी राजन द्वारा पब्लिक के व्यक्ति से उत्कोच मांगने के सम्बन्ध में थाना चांदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 69/24 धारा 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

राजन पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी पतला थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. श्री राजेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री कुलदीप शर्मा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. का0 1881 सचिन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर